



# मुजफ्फरनगर बुलेटिन

## हाईकोर्ट ने दिया झटका, अंजू अग्रवाल का मसूबा लटका

मुजफ्फरनगर, 21 सितंबर (बु.)। पालिकाध्यक्ष अंजू अग्रवाल को वित्तीय अधिकार पाने की जल्दबाजी उन पर भारी पड़ गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश शासन द्वारा वित्तीय अधिकार देने में देरी को देखते हुए हाईकोर्ट में प्रमुख सचिव के खिलाफ अमानना याचिका दायर कर उन्हें मुहं की खानी पड़ी। हाईकोर्ट ने यह याचिका समयातीत मानते हुए खारिज कर दी।

### 1 हाईकोर्ट द्वारा दिया समय पूरा होने से पहले ही दायर कर दी थी याचिका

### 2 200 करोड़ के प्रस्तावों पर नजर गड़ाए बेटी चेरमैन के हिस्से में आया ठेगा

अमृत अभिजात ने पालिकाध्यक्ष अंजू अग्रवाल के वित्तीय अधिकार को सीज करने के आदेश राज्यपाल के इवाले से जारी किए थे। इन आदेशों के खिलाफ पालिकाध्यक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और आरोप लगाया कि उनका पक्ष सुने बिना एक तरफा आदेश प्रदेश शासन ने जारी किया है। इस पर उच्च न्यायालय ने वित्तीय अधिकार सीज करने के आदेश रद्द करते हुए प्रदेश के नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया कि वह अंजू अग्रवाल को पक्ष सुनने के बाद इस संबंध में चौदह दिन के भीतर निर्णय ले। इस आदेश को आज चौदह दिन पूरा हो गए हैं। हालांकि उक्त आदेश के बाद जीत का जश्न मना रही अंजू अग्रवाल को अभी तक कोर्टों का ही मिला है। शासन ने उनके वित्तीय अधिकार बहाल नहीं किए तो एक बार फिर अंजू अग्रवाल हाईकोर्ट को शरण में पहुंची थीं और उन्होंने नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात के खिलाफ अमानना की याचिका दायर की थी। इस याचिका को लेकर चेरमैन द्वारा दिखाई गई जल्दबाजी उनके लिए पराजय का कारण बन गई। हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए पालिकाध्यक्ष को खारिज कर दिया। इसका आधार यह बताया गया कि हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश में दी गई चौदह दिन की अवधि पूरी होने से पूर्व ही दायर इस याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अवेकड - श्रीमती अंजू अग्रवाल विपक्षी पार्टी - श्री अमृत अभिजात, प्रमुख सचिव और आवेदक के लिए 2 अन्य वकील - विवेक मिश्रा, रोहित अंजू अग्रवाल द्वारा दायर रिट का निपटारा करते हुए अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। वर्तमान अमानना आवेदन 14.09.2022 को दायर किया गया था। यानी आदेश पारित होने के 12 दिनों के भीतर और रिट कोर्ट द्वारा निर्धारित अवधि समाप्त नहीं हुई है। अमानना आवेदन समय से पहले ही और एवद्वारा खारिज किया जाता है। हालांकि हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद बेताबी से वित्तीय अधिकार बहाल होने का इंतजार कर रही चेरमैन को तमझु झटका लगा है। इस बीच पालिकाध्यक्ष की ओर से इस मामले में प्रमुख सचिव नगर विकास को पहले ही जवाब भेजा जा चुका है। इसके



चलते अब गेंद नगर विकास विभाग के पाले में है। इस याचिका से अंजू अग्रवाल को कुछ हासिल तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बैठे बिनाए प्रमुख सचिव से पंगा जरूर मोल ले लिया। ज्ञात रहे कि टिपर घोटाले समेत तमाम मामलों में 'परीक्षा' के बाद जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर ही नगर विकास विभाग द्वारा पालिकाध्यक्ष के अधिकार सीज करने के आदेश जारी किए गए थे। ऐसे में पालिकाध्यक्ष के बावजूद जिस तरह के साक्ष्य उक्त आदेश में बर्णित हैं, उन्हें देखते हुए चेरमैन को कोई राहत मिलने की उम्मीद कम है। 15 सितंबर को शासन के अंतर्गत महावीर प्रसाद ने डीएम को पत्र भेजकर उक्त 08 जुलाई, 08 अगस्त और 12 सितंबर को भेजे गये जवाब का प्रति परीक्षण कराकर रिपोर्ट मांगी थी। इसके लिए नगर मजिस्ट्रेट और डीओ पालिका को जवाब तैयार करने में लगाया गया था। इसके बाद इसका जवाब भी शासन को भेजा जा चुका है। संभावना है कि आजकल में उक्त मामले में नगर विकास विभाग की ओर से आदेश जारी किए जा सकते हैं, क्यों कि हाईकोर्ट द्वारा दी गई समय सीमा भी आज समाप्त हो रही है। इससे लग रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद बजाए गए डोल और बांटी हुई मिटाई की कड़वाहट पालिकाध्यक्ष के कांधे और भ्रू में जट्ट पलेगी। इससे पिछली बैठक में पारित करीब दी सी करीब रुपये के प्रस्तावों पर नजर गड़ाए बेटी पालिकाध्यक्ष को ठेगा ही मिलता दिख रहा है।

### मुख्यमंत्री व नगर विकास मंत्री के नाम का शिलापट्ट गायब

खतौली, 21 सितंबर (बु.)। 15वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से इस वर्ष नगर पालिका परिषद खतौली द्वारा पालिका चिलड्रन पार्क में जलापूर्ति हेतु नवनिर्मित ट्यूबवेल पर प्रदेश मुख्यमंत्री व नगर विकास मंत्री के नाम का शिलापट्ट अचानक गायब होने की शिकायत भाजपा के पूर्व जिलामंत्री द्वारा मुख्यमंत्री सहित उच्चाधिकारियों में दर्ज हुए इस प्रकार की जांच कराये जाने की मांग की है।

मिली जानकारी के अनुसार नगर में स्वच्छ जलापूर्ति को लेकर नगर पालिका बोर्ड द्वारा इस वर्ष 2022 में पालिका के मोहम्मद मिर्जालाल स्थित पालिका चिलड्रन पार्क में एक ट्यूबवेल का निर्माण 15वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि द्वारा गया था। सन् 2022 में पालिका चिलड्रन पार्क में नवनिर्मित ट्यूबवेल पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नगर विकास मंत्री अरविन्द शर्मा, केन्द्रीय राज्यमंत्री संजीव बालियान, क्षेत्रीय विधायक विक्रम सैनी और पालिका अध्यक्ष बिलिकिस चौधरी सहित उपजिलाधिकारी जीत सिंह के नामों से उल्लिखित नवनिर्मित ट्यूबवेल पर लोकार्पण का शिलापट्ट लगाया गया था। भाजपा के पूर्व जिलामंत्री मदन झावड़ा द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित उच्चाधिकारियों को भेजे पत्र में 15वें वित्त आयोग द्वारा पालिका चिलड्रन पार्क में लोकार्पण शिलापट्ट को पालिका अध्यक्ष व नगर पालिका प्रशासन द्वारा अचानक हटवाये जाने की शिकायत करते हुए मुख्यमंत्री के नाम के शिलापट्ट को हटवाये जाने के प्रकार की तत्काल जांच कराये हुए कार्यवाही किये जाने की परजोर मांग की है। शिकायती पत्र में भाजपा नेता द्वारा पालिका चेरमैन पर राजनैतिक लाभ के उद्देश्य से पालिका नलकूप से मुख्यमंत्री के नाम के शिलापट्ट हटवाये जाने का आरोप लगाया है।

### चालीस दुकानों का पूरा मार्केट बुलडोजर से ध्वस्त किया

मुजफ्फरनगर, 21 सितंबर (बु.)। शामली रोड की ओर पानीपत खटौली हाईवे पर आज प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरजा। उपजिलाधिकारी सदर द्वारा तहसील सदर क्षेत्र अंतर्गत अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर द्वारा ध्वस्त किया गया। इस दौरान किसान इंटर कॉलेज अलीपुर खेड़ी के चालीस दुकानों के मार्केट को ध्वस्त कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 709 पानीपत-खटौली मार्ग में ग्राम लालखेड़ी में सरकारी भूमि में बनी अवैध चालीस दुकानों पर उपजिलाधिकारी सदर की उपस्थिति में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। क्षेत्र के बस स्टैंड लालखेड़ी पर स्थित किसान इंटर कॉलेज अलीपुर खेड़ी द्वारा पञ्चवीस वर्ष पूर्व बनी दुकानों का निर्माण कालेज प्रबंध समिति ने कराया था। सन् 2020 में उक्त बीस दुकानों के ऊपर भी तत्कालीन प्रबंधक एसडीएम सदर द्वारा बीस दुकानों का निर्माण कराया गया था। पिछले दिनों पानीपत-खटौली मार्ग को फोर लेन नेशनल हाईवे 709 एडो मार्ग घोषित किए जाने के बाद इसके निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के दौरान उक्त दुकानें हाईवे की जड़ में आ जाने के कारण करीब पांच माह पूर्व कॉलेज प्रशासन द्वारा उक्त चालीस दुकानदारों को नोटिस करते हुए दुकानें खाली करा ली गई थी जिनको बुधवार को हाईवे के बुलडोजर के द्वारा तोड़ दिया गया है। उपजिलाधिकारी सदर परमानंद झा ने बताया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 709 एडो पानीपत-खटौली मार्ग ग्राम लालखेड़ी में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनी 32 दुकानें थी जिनमें से कुछ दुकान अधिग्रहण होने के पश्चात मुआवजा लेने के बाद भी भूमि मुक्त कर रहे थे जिन्हें जेसीबी द्वारा ध्वस्तीकरण कर प्लाज्मा/आई को सुपरू कर दिया गया। उपजिलाधिकारी सदर द्वारा तहसील सदर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तितावी में भी हाईवे पर बने अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर द्वारा ध्वस्त किया गया। इस मौके पर उपजिलाधिकारी सदर ने कहा कि अवैध अतिक्रमण तहसील सदर में बढोत्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति स्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमण करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्य करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

### हाईवे निर्माण के लिए जड़ में आई थी दुकानें मुआवजा लेने के बावजूद नहीं मुक्त की गई थीं



### कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर नम हुई आंखें

नई दिल्ली, 21 सितंबर (वार्ता)। जाने-माने कॉमेडियन और एक्टर राजू श्रीवास्तव का बुधवार सुबह निधन हो गया। 58 साल के राजू लगभग 40 दिनों से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे और बिंदीगी की जंग लड़ रहे थे। 10 अगस्त को दिल्ली के एक होटल में जिनमें एकसप्ताह करते हुए राजू गिर पड़े थे। उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था, जिसके बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। राजू डॉक्टरों की निगरानी में लगातार वेंटिलेटर पर थे। उनकी तबीयत में उत्तार-चढ़ाव होता रहा था, जिससे उन्हें आराम नहीं मिल पाया। हालांकि, परिवार और डॉक्टरों ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। राजू श्रीवास्तव के भतीजे का दावा है कि हाथ्य कलकार की मौत दूसरे कार्डियक अरेस्ट से हुई है। उन्हें पहले अटक के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

राजू के निधन से मनोरंजन जगत में शोक की लहर छ गयी है। पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं के अलावा उनके चाहने वाले और दोस्त उन्हें याद करते श्रद्धांजलि दे रहे हैं। राजू अपने मांके एक बेटे और एक बेटा छोड़ गये हैं। राजू ने फिल्मों के साथ टीवी और कमिडी शोज में खूब काम किया था। राजू श्रीवास्तव का पोस्टमॉर्टम नई तकनीक से किया गया है। इस तकनीक का नाम वर्चुअल ऑटोप्सी है। इसमें अंगों से किसी भी प्रकार की छुड़छुड़ नहीं की जाती है। यह पूरी प्रक्रिया 15 से 20 मिनट में पूरी कर ली गई है।



### 27 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाईयों का सीधा प्रसारण

नई दिल्ली, 21 सितंबर (वार्ता)। अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाले सभी मामलों की सुनवाई का सीधा प्रसारण देश की जनता देख सकेंगी। चाहे वह जर्नलिस्ट का मामला हो या देशाहित व संविधान से जुड़े मामले सबको सुनवाईयों का सीधा प्रसारण किया जाएगा। यह फैसला मंगलवार को ही ले लिया गया था। अगले सप्ताह से सभी संवैधानिक बेंच की सुनवाईयों का लाइव स्ट्रीमिंग यानि सीधा प्रसारण किया जाएगा। मंगलवार को शीर्ष अदालत के सभी जजों ने बैठकर इस मामले पर चर्चा की। इसके बाद ही सभी मामलों की सुनवाईयों के लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला लिया गया। पूरे मामले से अतिरिक्त लोगों के अनुसार जजों की ओर से इतर सहमति दी गई। हाल में ही सीनियर वुडकेट इंदिरा जयसिंह ने इस बारे में चौफे जॉर्नलिस्ट सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को लिख कर सूचित किया था। इसमें उन्होंने जर्नलिस्ट व संवैधानिक महत्व वाले मामलों की सुनवाई के सीधा प्रसारण की बात तो कही ही साथ ही इस दौरान वकीलों के बचस का भी रिहाई रखने पर जोर दिया। सीनियर एडवोकेट ने कहा कि ईडब्ल्यू, हिजाब मामला, नाराजिता संशोधन विधेयक जैसे देश के मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है जिसका सीधा प्रसारण होना चाहिए।

### बुलेटपूफ जैकेट पहनकर कोर्ट में पेश किया गया शक्ति अनिल दुजाना

मुजफ्फरनगर, 21 सितंबर (बु.)। छपार में 6 साल पहले हुई ख़ाद व्यापारी संजीव त्यागी की हत्या में आरोपी शक्ति अनिल दुजाना को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया। फ़ौजबाद जेल से आया दुजाना बुलेटपूफ जैकेट पहने हुए था। छपार निवासी ख़ाद व्यापारी संजीव त्यागी की 2012 में हत्या कर दी गई थी। राजीव की हत्या में संजीव त्यागी चरमदीय गवाह था। पुलिस सुरक्षा में ही संजीव त्यागी की गौली से भुंकर हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में शक्ति अनिल दुजाना की निगरानी हुई थी। संजीव हत्याकाण्ड की सुनवाई अउर जिला न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 3 में चल रही है। कोर्ट ने आरोपी दुजाना को सुनवार को तलब किया था। पुलिस अभिरक्षा में दुजाना को आज कोर्ट में लाया गया। औचित्यता नसीब अहमद के मुताबिक आरोपी दुजाना के इस मामले में वारण्ट जारी थे। उन्होंने बताया कि इस



मामले में अब तक 99 लोगों की गवाही हो चुकी है। विवेक की गवाही होगी बाकी है।

### दिन में उमस, शाम को ठंडी हवाएं और रात में रिमझिम



मुजफ्फरनगर, 21 सितंबर (बु.)। दिन में धूप के साथ उमस भरी गर्मी से बिलबिलाने शहर में शाम के समय चली ठंडी हवाओं ने सर्दियों की आहट सुनाई तो रात में एक बार फिर बादलों की तबखार गते हुए शहर के कई इलाकों को तबखार कर दिया। इसके साथ शहर में तमाम स्थानों पर फिर से रात के बाजार अस्त व्यस्त हो गए। आज दिन में धूप के साथ उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल थे। दिन में सड़कों पर जाम के दौरान भी गर्मी से लोग परेशान नजर आए, लेकिन शाम होते ही ठंडी हवाओं के चलते मौसम में भारी बदलाव देखने को मिला। हालांकि नगर में आज तापमान अधिकतम 33.6 और न्यूनतम 25.4 डिग्री रहा और एक मिमी बारिश रिपोर्ट की गई, लेकिन शहर की ठंडक और रात में हुई बारिश के कारण रात के तापमान में भारी गिरावट होने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 26 सितंबर तक पूर्वी प्रदेश के लगभग 26 इलाकों से मध्य बरसात हो सकती है। और भी हल्कों से बुधवार को कई पूर्वांचल के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया

### तिरुपति बाला जी मंदिर को इस मुस्लिम भक्त ने दान में दिए 1 करोड़ रुपये

तिरुपति, 21 सितंबर (वार्ता)। तिरुपति बाला जी के मंदिर को एक मुस्लिम भक्त ने एक करोड़ रुपये का दान दिया है। अब्दुल नबी और नूबाना बानो ने तिरुवाला तिरुपति देवस्थान को चेक भेंट करते हुए मंदिर के कार्यों में सहयोग करने की इच्छा है। दान में नवनिर्मित पंचायती रेस्ट हाउस के लिए 87 लाख रुपये के फर्नीचर और खर्च और एस्वी अन्ना प्रसाद ट्रस्ट के लिए 15 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट शामिल है। मुस्लिम भक्त द्वारा तिरुपति मंदिर को इतनी बड़ी राशि दान में देने को लेकर यह अब इन्टरनेट मीडिया में चर्चा में है।

### सदिग्ध हालातों में फांसी पर लटका मिला विवाहिता का शव

मुजफ्फरनगर, 21 सितंबर (बु.)। सिखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव मोघपुर में एक विवाहिता का शव सदिग्ध हालातों में फांसी पर लटका मिला। ससुराल वाले आनन फानन में शव को अंतिम संस्कार के लिये ले गए। इस बीच किसी भी घटना की सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चिता से शव को उखर कर जेब में ले लिया और मुक्तका के मायके वालों को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को परीक्षण के लिये भेज दिया। पुलिस मुक्तका के मायके वालों के आने का इंतजार कर रही है। पुलिस सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली निवासी विनोता का विवाह तीन वर्ष पूर्व सिखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव मोघपुर निवासी मोनु के साथ हुआ था। बताया गया कि आज विनोता का शव उसके कमरे में फांसी पर झूलता हुआ मिला। ससुराल वाले आनन फानन में विवाहिता के शव को अंतिम संस्कार के लिये ले गए। इस बीच किसी भी घटना की सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को चिता से निकालकर कब्जे में ले लिया और मुक्तका के मायके वालों को घटना की सूचना दी। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को परीक्षण के लिये भेज दिया है।



मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को चिता से निकालकर कब्जे में ले लिया और मुक्तका के मायके वालों को घटना की सूचना दी। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को परीक्षण के लिये भेज दिया है।

### पिता ने प्रेमी की प्रताड़ना से तंग नवविवाहिता फांसी पर झूली

मुजफ्फरनगर, 21 सितंबर (बु.)। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में पूर्व प्रेमी व उसके रिश्तेदारों की प्रताड़ना से तंग नव विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतार कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। मुक्तका के पिता ने तीन लोगों के विरुद्ध सिविल लाइन थाने पर नामवन्द रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि तितावी थाना क्षेत्र के गांव निवासी युवती की शादी छह माह पूर्व सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक मोहल्ल निवासी युवक के साथ हुई थी। बुधवार दोपहर के समय विवाहिता ने खुद को कमरे में बंद कर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घंटों तक दरवाजा न खुलने पर ससुराल वालों ने किसी तरह दरवाजा तोड़ा। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में मुक्तका के पिता ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि शादी से पूर्व वह कांथला निवासी सोनु से बातचीत के अपहरण के आरोपी को 8 साल के कारावास और 10 हजार के आर्थिक दण्ड के साथ सुनाई है। लोक अभियोजक दिनेश पुष्पी, राजेश शर्मा और अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह के मुताबिक दरअसल शामली के आदर्श मण्डली क्षेत्र के मुन्डेर गांव निवासी जशमेर ने 22 अक्टूबर 2006 को मुक्तका दर्ज कराया था कि जमीन कब्जा की नियत से रामकुमार और सुखला ने उसके 6 साल के बेटे राहुल का अपहरण कर लिया है। पुलिस ने राहुल को सक्षुशल बरामद कर दोनो को गिरफ्तार कर लिया था। दोनो आरोपियों को पुलिस ने



करीब थी। शादी होने के बाद सोनु व भीराकाला थाना क्षेत्र के गांव सिर्सौली निवासी उसके दो रिश्तेदार फोन पर उसे लगातार परेशान कर रहे थे। उसके पति को हत्या करने की धमकी दी जा रही थी। फोन पर धमकी से तंग आकर विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मुक्तका दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है।

### रामपुरी में दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा

मुजफ्फरनगर, 21 सितंबर (बु.)। पोखरी कोर्ट ने रामपुरी में 6 साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी मोनु को 10 साल के कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। उधर खतौली क्षेत्र में जानलेवा हमले के आरोप में 8 आरोपियों को भी 90-90 साल के कारावास की सजा मिली है। शहर के रामपुरी में नाबालिग को बहला-फूसलाकर भगाने और दुष्कर्म की यह घटना 13 मार्च 2016 को हुई थी। विशेष लोक अभियोजक विक्रांत राठी और प्रदीप बालियान ने बताया कि आरोपी मोनु पीड़िता को बहला-फूसलाकर उसे

### खतौली के रुकनपुर में जानलेवा हमले में चार आरोपियों को भी मिला 90-90 साल का कारावास

इलाहाबाद ले गया, जहां पर जबरन शादी का दबाव बनाया। आरोप है कि हाई कोर्ट जान से मारने की धमकी देकर मोनु ने पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता के बरामद हो जाने के बाद पुलिस ने आरोपी मोनु को जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई विशेष अपर न्यायाधीश राीम नहरोजा की कोर्ट में हुई। खतौली क्षेत्र के रुकनपुर में फसल काटने के विवाद में हुए जानलेवा हमले के मामले में भी एडीजी कोर्ट 13 के न्यायाधीश

शक्ति सिंह ने 8 आरोपियों को 90-90 साल के कारावास और 5-5 हजार रुपये के आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई है। एडीजीसी प्रवेन् कुमार के मुताबिक हमले में घायल हुए नहार सिंह के चान्ना ने भूषणलाल, कोशल, शशिकांत, रविकांत, ममकोर और अकिंत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद कोशल और ममकोर को सभूतो के अर्थात में बरी करते हुए बाकी 8 आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। गैंगस्टर एक्ट में आरोपी को 4 साल का कारावास और 10 हजार के आर्थिक दण्ड के साथ सुनाई है। दिनेश पुष्पी, राजेश शर्मा और अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह के मुताबिक दरअसल शामली के आदर्श मण्डली क्षेत्र के मुन्डेर गांव निवासी जशमेर ने 22 अक्टूबर 2006 को मुक्तका दर्ज कराया था कि जमीन कब्जा की नियत से रामकुमार और सुखला ने उसके 6 साल के बेटे राहुल का अपहरण कर लिया है। पुलिस ने राहुल को सक्षुशल बरामद कर दोनो को गिरफ्तार कर लिया था। दोनो आरोपियों को पुलिस ने

गैंगस्टर एक्ट में भी निरुद्ध किया था। इस मामले की सुनवाई गैंगस्टर कोर्ट के जज कमलापति के न्यायालय में हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी रामकुमार को 8 साल के कारावास और 10 हजार रुपये के दण्ड की सजा सुनाई है, जबकि दूसरे आरोपी सुखला के कोर्ट में पेश न होने पर गैर जमानती वारण्ट जारी कर दिये। लोक अभियोजक दिनेश पुष्पी के मुताबिक दोनो आरोपियों को अपहरण में भी सजा हो चुकी है। फिलहाल दोनो जमानत पर बाहर थे। इनमें से सजा होने के बाद रामकुमार को कोर्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।

### भारी बरसात के बाद भूस्खलन से गंगोत्री हाईवे सहित कई सड़कें बंद

उत्तरकाशी, 21 सितंबर (वार्ता)। भारी बारिश के बाद गंगोत्री हाईवे सहित कई सड़कें बंद हो गईं हैं। सड़कें बंद होने के बाद प्रशासन ने ट्रैफिक डायवर्ट किया है। प्रशासन की ओर से बंद सड़कों को खोलने का काम जारी है, लेकिन खराब मौसम बाधा बन रहा है। भूस्खलन से गंगोत्री हाईवे पर भटवाड़ी से आगे हेमगंगाघाट के पास बुधवार रात सड़कें बंद हो गईं हैं। भारी भूस्खलन होने से आवाजाही बंद हो गई है।





